रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/चैत्र 3, 1939
No. 233] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2017

सा.का.नि. 292(अ).—सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं संवितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप धारा (1), धारा 8 की उपधारा (2), धारा 10 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्र सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग तथा लैबलिंग), नियमावली, 2008 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. (1) ये नियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग तथा लैबलिंग), संशोधन नियम, 2017 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग तथा लैबलिंग), नियमावली, 2008 में नियम 5 में उप-नियम (4) और (5) में निम्नलिखित परंतुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

"बशर्ते की उत्पादित सभी तंबाकू उत्पादों के लिए विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी की दूसरी छवि (छवि 2) प्रभावी होने की तारीख 1 अप्रैल, 2016 से 12 माह पूरे होने के उपरांत होगी"।

[फा. सं. पी-16012/10/2016-पीएच-1]

अरुण कुमार झा, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 15 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी और बाद में दिनांक 29 सितंबर, 2008 की सा.का.नि. 693 (अ), दिनांक 28 नवंबर, 2008 के सा.आ. 2814 (अ); 3 मार्च, 2009 के सा.का.नि. 305 (अ), 5 मार्च, 2010 के सा.का.नि. 176 (अ); 17 मई, 2010 की सा.का.नि. 411 (अ); 20 दिसंबर, 2010 के सा.का.नि. 985 (अ); 27 मई, 2011 के सा.का.नि. (अ); 26 जुलाई, 2011 के सा.का.नि. 570 (अ); 27 सितंबर, 2012 के सा.का.नि. 724 (अ); 15 अक्टूबर, 2015 के सा.का.नि. 727 (अ); 26 मार्च, 2015 के सा.का.नि. 228 (अ); तथा 24 सितंबर, 2015 के सा.का.नि. 739 (अ) अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2017

G.S.R. 292(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7, sub-section (2) of section 8, section 10 and section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, in rule 5, for sub-rule, (4) and (5), the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the date of coming into effect of the second image (image2) of specified health warning, shall be for all tobacco products manufactured after the completion of twelve months from the 1st day of April, 2016.".

[F. No. P-16012/10/2016-PH-I]

ARUN KUMAR JHA, Economic Adviser

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(i) vide notification numbers G.S.R. 182 (E), dated the 15th March, 2008 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 693(E), dated the 29th September, 2008, S.O. 2814(E), dated the 28th November, 2008; G.S.R.305(E), dated the 3rd March; 2009, G.S.R.176(E), dated the 5th March, 2010; G.S.R. 411(E), dated the 17th May, 2010; G.S.R 985(E), dated the 20th December, 2010; G.S.R 417(E), dated the 27th May, 2011; G.S.R 570 (E), dated the 26th July, 2011; G.S.R. 724(E) dated the 27th September,2012; G.S.R. 727(E) dated the 15th October, 2014; G.S.R. 228(E) dated the 26th March, 2015; and G.S.R. 739(E) dated the 24th September, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.03.24 22:52:57 +05'30'